



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा  
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस  
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 27/2015

**प्रार्थीगण**

1. छगनलाल पुत्र ऊंकारराम
2. नेमीचन्द पुत्र ऊंकारराम
3. केलीदेवी पत्नी पेमाराम  
जातियान खटीक निवासीगण  
बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. मैनादेवी पत्नी रूपाराम  
जाति खटीक निवासी खटीको  
की ढीमड़ी बिलाड़ा, तहसील  
बिलाड़ा, जिला जोधपुर
2. श्रवण कुमार पुत्र चनणाराम  
जाति सरगरा, निवासी कुशालपुरा  
तहसील रायपुर, जिला पाली
3. सरकार जरिये तहसीलदार  
बिलाड़ा
4. सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट**

**निर्णय**

दिनांक :- 28.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुयी। आवाज दिलायी गयी वकील प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। वकील प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस प्लीड करते है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 को नोट प्रेस प्लीड करने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार व नम्बर से कम होकर मूल राजस्व वाद संख्या 78/2015 छगनलाल वगैराह बनाम मैनादेवी वगैराह अन्तर्गत धारा 53, 188 के साथ संलग्न हो। निर्णय सरै इजलास आज दिनांक 28.06.2017 को सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा